निगरानी 1335-I-15

न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मण्डल, ग्वालियर मध्य प्रदेश.

निगरानी प्रकरण क्रं. :- सन्2015

सरोज पत्नी शोभा सिंह ठाकुर
निवासी ग्राम सीलप तहसील
गौरिहार जिला छतरपुर म.प्र. .. निगरानीकर्ता

बनाम

म.प्र. शासन. .. अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959.

निगरानी विरूद्ध योग्य अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर छतरपुर के प्र.क्रं. 198/स्व.प्रे.निग./2012-13 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 23.03.2015 से दुखित होकर ।

महोदय,

निगरानीकर्ता निम्नलिखित विनय करती है:-

यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि भूमि खसरा नंबर 2111, 2466, 2467, 2468 रकबा क्रमशः 0.661, 0.077, 0.125, 0.069 हेक्टयर कुल किता 4 कुल एकत्र रकबा 0.932 हेक्टयर स्थित मौजा सीलप तहसील गौरिहार जिला छतरपुर म.प्र. की भूमि वर्ष 1984से पूर्व निगरानीकर्ता निरंतर काबिज होकर काश्तकारी करती रहीहै ।

2. यह कि निगरानीकर्ता ने उक्त भूमियों के संबंध में 1984 से पूर्व निरंतर कब्जा होने से तथा भूमिहीन होने से नायब तहसीलदार गौरिहार के यहां अवेदन प्रस्तुत किया था उक्त आवेदन पर नायब तहसीलदार गौरिहार द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर प्रकरण क्रमांक 263/अ-19(4)/86-87 पर दर्ज कर इश्तहार प्रकाशन एवं विधि अनुसार कार्यवाही कर दिनांक 23.07.1987 को निगरानीकर्ता को उक्त भूमि के संबंध में भूमिस्वामी के अधिकार प्रदान करने का आदेशपारित कर पट्टा प्रदान किया गया था. निगरानीकर्ता ने उक्त भूमि को काबिल

R-1335-I/15 छतरपुर

29/3/16

आवेदक अभि० द्वारा जिसके यह प्रकरण दायर किया है वह उपस्थित नहीं हो रहे हैं। अतः प्रकरण में गति नहीं होने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।

सदस्य